राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 1(47)चिशि / ग्रुप–1 / 13 जयपुर, दिनांक 13-9-17

परिपत्र

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजो में एमडी / एमएस / डीएम / एमसीएच में अध्यननरत चिकित्सकों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ प्रदर्शक / सहायक आचार्य के पद पर हो जाने के फलस्वरूप ऐसे चिकित्सक जिनकी एमडी / एमएस / डीएम / एमसीएच पूर्ण नही हुई है, को इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 6.10.2015 जिसके द्वारा यह व्यवस्था की हुई है, कि नवचयनित चिकित्सक शिक्षक जो डी.एम / एम.सी.एच. कोर्स में अध्ययनरत है, उन्हे नवनियुक्ति पर अध्ययन हेतु आवश्यक अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जावेगा तथा डी.एम / एम.सी.एच. कोर्स पूर्ण करने के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्ष की राजकीय सेवा अनिवार्य होगी।

ऐसे चिकित्सक जो पूर्व से ही राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमडी / एमएस / डीएम / एमसीएच अध्ययनरत है, उसके द्वारा यदि कार्यग्रहण कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी एमडी / एमएस / डीएम / एमसीएच में ब्रेक हो जाएगा।

अतः इस सम्बन्ध में विभागीय पत्र दिनांक 6.10.15 का अतिक्रमण करते हुए यह निर्णय लिया गया कि ऐसे चिकित्सक जो एमडी / एमएस / डीएम / एमसीएच में अध्ययनरत है, तथा जिनका चयन वरिष्ठ प्रदर्शक / सहायक आचार्य के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से हुआ है, उन्हे कार्यग्रहण नही कराया जावेगा। यदि चिकित्सक के नियुक्ति आदेश जारी करने के पश्चात् उनकी एमडी / एमएस / डीएम / एमसीएच कोर्स पूरा होने में छः माह शेष है, उन्हे कार्यग्रहण काल में कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3)कार्मिक / क–2 / 73 दिनांक 18.10.97 के अनुसार अधिकतम छः माह के कार्यग्रहण काल में वृद्वि की जा सकेगी। अन्यथा ऐसे चिकित्सक जिनकी एमडी / एमएस / डीएम / एमसीएच छः माह से अधिक अवधि की शेष है, उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए उनके स्थान पर आयोग द्वारा तैयार की गई आरक्षित सूची से नाम मंगवाये जाने पर विचार कर लिया जावेगा।

आज्ञा से,
13/9/17
(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीत्र मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा,जयपुर
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग
4. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा
6. सम्बन्धित चिकित्सक मार्फत प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, कोटा
7. रक्षित पत्रावली

13/9/17
शासन उप सचिव